(1)

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 11/25/2016 | 25—07—2016 | 04—04—2018 |

1—चमेली पुत्री महोहरलाल पत्नि वेद प्रकाश जाति साहू निवासी बी 62, शशि गार्डन, मयूर विहार, फेज प्रथम, दिल्ली

2— श्रीमती छोटी पुत्री मनोहरलाल पत्नि रतिराम निवासी बीवा तह0 फिरोजपुर झिरका जिला नूंह

3— श्रीमती शीला पुत्री मनोहरलाल पत्नि तेज प्रकाश निवासी 1923—ए, गली नम्बर 9 राजगढ एक्सटेंशन विस्तार, दिल्ली 31

अपीलान्टस

बनाम

1—नेमीचंद पुत्र मनोहरलाल जाति साहू, निवासी लक्ष्मणगढ, पुराने थाने के सामने तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0

रेस्पाडेन्टान्

**अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक 30.05.1993 नामान्तकरण संख्या 1391 ग्राम लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0**

उपस्थित:—

01—श्री दीपक कुमार सिद्व
02 श्री जगदीश चन्द सतीजा

—वकील अपीलान्टस

OFFICE OF THE ADDITIONAL C... न्यायालय अतिरिक्त जिला क... अलवर (राज0) ALWAR (RAJ)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 30.05.1993 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1391 ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर बेजा तौर पर दर्ज करने से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मनोहर लाल पुत्र बुद्वा लाल जाति तेली साहू निवासी लक्ष्मणगढ की आराजी खसरा न0 1462 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मणगढ में स्थित है। मनोहलाल की मृत्यु के बाद इन्तकाल न0 1391 विरासत गलत तरीके से केवल रेस्पॉडेन्ट 1 के नाम 1/2 व यशोदा देवी बेवा मनोहरलाल के नाम 1/2 हिस्सा दिनांक 30.05.1993 को गलत तरीके से दर्ज व स्वीकार किया गया जबकी उनकी तीनो पुत्रियों को भी सम्पूर्ण आराजी में से बराबर हिस्सा मिलना चाहिए था जिसका अपीलान्ट को दिनांक 26.05.2016 को पता चला। रेस्पॉडेन्ट ने हम अपीलान्टस को धमकी दी कि आराजी मेरे नाम दर्ज है जिसे मै बेचकर छोडूंगा तथा तुम्हे मै बेदखल करके छोडूंगा जिसके बाद अपीलान्ट ने वकील साहब से सर्म्पक किया व रिकार्ड दिखवा



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

(2)

कर रेस्पॉडेन्ट को 27.05.2016 को 15 दिन का नोटिस दिलाया जिसका रेस्पॉडेन्ट द्वारा कोई जवाब नही दिया गया। इसके बाद अपीलान्ट ने इन्तकाल नम्बर 1391 की नकल का प्रार्थना पत्र दिनाक 06.07.2016 को पेश कर नकल प्राप्त की अपीलान्ट को इन्तकाल कि जानकारी देरी से होने के कारण नकल देरी से पेश की गई। मनोहरलाल के यशोदा देवी उसकी बेवा थी जिनका भी अब स्वर्गवास हो गया है। मृतक मनोहलाल के एक पुत्र व तीन पुत्रियां वारिस है। लेकिन इन्तकाल विरासत नम्बर 1391 गलत तरीके से केवल रेस्पॉडेन्ट व यशोदा देवी के नाम दर्ज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनोहरलाल के वारिसान की कोई जांच पडताल नही कि गई तथा मौका व कब्जा देखे बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल करके नाजायज कब्जा करने पर उतारू है। आराजी खसरा नम्बर 1462 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा जिसका इन्तकाल नम्बर 1391 विरासत मनोहरलाल मृतक का, रेस्पॉडेन्ट के नाम 1/2 हिस्सा व मनोहरलाल की बेवा यशोदा देवी के नाम 1/2 हिस्सा गलत तरीके से दर्ज व स्वीकार किया गया है। पक्षकारान की माता यशोदा देवी का भी स्वर्गवास हो गया है। यशोदा देवी के स्वर्गवास होने पर, उनको पूर्व में इन्ताकाल नम्बर 1391 के जरिये प्राप्त हुई 1/2 हिस्से की आराजी का भी विरासत का इन्तकाल नम्बर 1801 दर्ज व मंजूर किया जा चुका हैं जिसके द्वारा यशोदा देवी को प्राप्त 1/2 हिस्से में से हम सभी पक्षकारान का नाम इन्तकाल नम्बर 1801 में दर्ज हो चुका है जो सही है। अतः इन्तकाल नम्बर 1391 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पॉडेन्ट नेमीचन्द को प्राप्त कुल 1/2 हिस्से मे से हम तीनो अपीलान्ट को रेस्पॉडेन्ट के बराबर हिस्सा दर्ज कर स्वीकार किये जावें।

वकील रेस्पॉडेन्ट ने बहस के दोरान निवेदन किया कि मनोहरलाल का देहान्त दिनांक 17.05.1993 को होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में जो 2005 में संशोधन किया गया है उसके मुताबिक लडकियों को हित व अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए अपीलान्टस का मृतक मनोहरलाल की विरासत में कोई हक व अधिकार नही है। अपीलान्टस का यह कहना है कि मनोहरलाल की इन्तकाल संख्या 1391 की जानकारी दिनांक 26.05.2016 को हुई, कतई गलत व नामुमकिन हैं, कि मनोहरलाल की विरासत के संबंध में अपीलान्ट को जानकारी 23 साल बाद हुई हो बल्कि उन्हे यह जानकारी दिनांक 30.05.1993 से ही हैं। दिनांक 30.05.1993 से ही मिन रेस्पॉडेन्ट का कब्जा चला आ रहा है। रेस्पॉडेन्ट की माता यशोदा का देहान्त वर्ष 2001 में हो गया था ओर मृतक यशोदा की विरासत का इन्तकाल संख्या 1801 दिनांक 08.10.2001 को अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गया था हालांकी वह गलत आदेश था जिसमे मिन रेस्पॉडेन्ट व्यथित पक्षकार है। स्वंय अपीलान्टस ने बाला–बाला मिन रेस्पॉडेन्ट की जानकारी के बिना उक्त इन्तकाल अपने नाम दर्ज करा लिया। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे। वकील रेस्पॉडेन्ट द्वारा आर0आर0डी0 2012 पेज 641, आर0आर0डी0 2002 पेज 414, आर0आर0डी0 2011 पेज 454 पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 29.03.1993 के विरूद्व दिनांक 12.09.2013 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब 20 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पॉडेन्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट द्वारा अपना हक त्याग किया हो ओर मृतक झन्डूराम की वारिस न हो, अपीलान्ट मृतक की पुत्रीयाँ है जिनका अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार बनता है। इसी आराजी से संबंधित अन्य विचाराधीन प्रकरण नेमीचन्द बनाम चमेली में इन्तकाल नम्बर 1801 दिनांक 08.10.2001 में समस्त वारिसों के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसों की जांच नही की गई। अधिनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

(3)

ने वारिसान की बिना जांच किये निर्णय पारित किया है जिसे उचित नही ठहराया जा सकता अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ का आदेश दिनांक 30.0.1993 नामान्तरकरण संख्या 1391 निरस्त किया जाकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक के वारिसान की जांच कर समस्त वारिसान की विधि सम्मत सुनवाई कर सभी का पक्ष सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)
ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)